

(६)

नेपाल गजेट भाग २

अनुसूची-१

संविधान अनुसार संचित कोषमाथि व्ययभार हुने

| १       | २             | ३                 | ४                                    |
|---------|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| सि. नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य      | संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रूपैयाँमा |
| १       | ३             | राष्ट्रिय पञ्चायत | १५,०००                               |
| २       | ६             | लोक सेवा आयोग     | १,६५०                                |
|         |               |                   | <u>१६,६५०</u>                        |

आधिकारिक मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

## अनुसूची-२

दफा २ र ३ अनुसार संचित कोषबाट खर्च हुने

| १<br>सि. नं. | २<br>अनुदान संख्या | ३<br>सेवा र कार्य             | ४<br>विनियोजित रकम<br>रूपैयांमा |
|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| १            | ८                  | श्री ५ को सरकारको सचिवालय     | ३,०४,६४०                        |
| २            | ९                  | जिल्ला प्रशासन                | ३६,२८०                          |
| ३            | १०                 | पुलीस                         | १०,००,०००                       |
| ४            | ११                 | जेल                           | ८,५५०                           |
| ५            | १२                 | विविध                         | १,२६,७००                        |
| ६            | १३                 | मालपोत                        | ५,६४,८३६                        |
| ७            | १४                 | भंसार                         | ३८,५२०                          |
| ८            | १६                 | कर                            | १,४२,४००                        |
| ९            | २१                 | टक्सार                        | ३०,४००                          |
| १०           | २२                 | ए. ज. अफिस                    | ४६,५००                          |
| ११           | २३                 | अदालत                         | १५,३७६                          |
| १२           | २४                 | एटर्नी जनरल                   | १,५००                           |
| १३           | २५                 | वैदेशिक                       | ३,३६,२५०                        |
| १४           | २६                 | विविध                         | ४०,०००                          |
| १५           | २७                 | शिक्षा                        | २,६३,१०८                        |
| १६           | २८                 | स्वास्थ्य                     | २,६१,७५६                        |
| १७           | २९                 | प्रचार तथा प्रसार             | ४,१८,६६०                        |
| १८           | ३०                 | पञ्चायत                       | ३,१७,६००                        |
| १९           | ३१                 | कृषि                          | ३३,२१०                          |
| २०           | ३२                 | वन                            | ३४,४५५                          |
| २१           | ३३                 | उद्योग वाणिज्य                | २१,५८५                          |
| २२           | ३४                 | संचार                         | १,१७,५६०                        |
| २३           | ३५                 | यातायात                       | ६१,७००                          |
| २४           | ३७                 | निर्माण                       | ८,०८,२५५                        |
| २५           | ३९                 | रक्षा                         | १६,५०,०००                       |
| २६           | ४०                 | विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि |                                 |
|              |                    | मण्डलको भ्रमण खर्च            | ४,००,०००                        |
| २७           | ४२                 | अतिथि सत्कार                  | ५०,०००                          |
| २८           | ४५                 | मुआवजा                        | ५,००,०००                        |
| २९           | ४७                 | भैपरी आउने                    | ३२,५०,०००                       |
|              |                    |                               | १,०६,२२,१७७                     |

आधिकारिकता हुनुपर्ने विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(८)

नेपाल गजेट भाग २

## अनुसूची-३

दफा २ र ३ अनुसार संचितकोषबाट खर्चहुने

| १       | २             | ३                     | ४                          |
|---------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| सि. नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य          | विनियोजित रकम<br>रूपैयांमा |
| १       | २             | सभे                   | ७,००,०००                   |
| २       | ३             | बजेट तथा ए. ता. योजना | ४४,१२५                     |
| ३       | ४             | शिक्षा                | ६,१०,०००                   |
| ४       | ५             | स्वास्थ्य             | ५,८५,५००                   |
| ५       | ६             | प्रचार तथा प्रसार     | ४,००,०००                   |
| ६       | ७             | पञ्चायत               | २२,१६,७१०                  |
| ७       | ८             | कृषि                  | ४,८७,०००                   |
| ८       | १०            | उद्योग वाणिज्य        | २३,५०,०००                  |
| ९       | ११            | संचार                 | ३४,००,०००                  |
| १०      | १२            | यातायात               | ८०,०००                     |
| ११      | १३            | बिजुली                | ३२,२६,०००                  |
| १२      | १४            | निर्माण               | १६,००,०००                  |
| १३      | १५            | लगानी ऋण तथा व्याज    | ४,५०,०००                   |
| १४      | १६            | इन्जिनियरिङ्ग         | ६,२००                      |
| १५      | १८            | भैपरि आउने            | ३१,००,०००                  |
| १६      | २१            | भूमि सुधार            | १६,७२,६६५                  |
|         |               |                       | २,१२,३४,५३०                |

लालमोहर सदर मिति २०२२।११।२६।४

आज्ञाले-

विनोदप्रसाद धिताल,  
श्री ५ को सरकारको सचिव ।श्री ५ को सरकारको छापाखानामा मुद्रित ।  
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

श्री ५ को सरकार  
कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

२०२२ सालको ऐन, नं. १८


स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरूदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला ओजस्विराजन्य अति तेजस्वी त्रिभुवन प्रजातन्त्रश्रीपद अति कीर्तिमय नेपालश्रीपद प्रोज्ज्वल नेपालतारा ॐ रामपट्ट अतुलज्योतिर्मय त्रिशक्तिषट्ट अतिप्रबल गोरखादक्षिणबाहु महाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समरविजयिनाम् ।

पूरक विनियोजन ऐन २०२२

प्रस्तावना:- आर्थिक वर्ष २०२२।२३ को निमित्त विभिन्न सेवा र कार्यहरूमा खर्च गर्न विनियोजन ऐन, २०२२द्वारा निर्धारित गरिएको रकम अपर्याप्त भएकोले ती सेवा र कार्यहरूमा केही रकम थप गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम:- यो ऐनको नाम पूरक विनियोजन ऐन, २०२२ रहेको छ ।
२. आर्थिक वर्ष २०२२।२३ को निमित्त संचित कोषबाट थप रूपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार:-  
आर्थिक वर्ष २०२२।२३ को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएको सेवा र कार्यहरूको निमित्त अनुसूची २ को कालम ४ मा र अनुसूची ३ को कालम ४ मा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम जम्मा रूपैयाँ ३,२१,५६,७०७ तीन करोड एक्काईस लाख छपन्न हजार सात सय सातमा नबढाई त्यतिसम्मको रकम संचित कोषबाट थप खर्च गर्न सकिनेछ ।

आधिकारिकता  विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

३. विनियोजन:- यो ऐनद्वारा संचितकोषबाट थप खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएको सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिने छ ।

तर, उक्त सेवा र कार्यको निमित्त यो दफा र विनियोजन ऐन, २०२२को दफा ३ द्वारा विनियोजन गरिएको जम्मा रकम कुनैमा बढ्दत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आयो भने श्री ५ को सरकारले एक शीर्षकबाट जम्मा रूपैयाँ ३,००,०००।- तीन लाखमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न सक्नेछ ।

सिस्टम  
विभाग,  
मुद्रण

४०२

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।